न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील सं0 09/2017

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

– अपीलांट

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी धान्धुसर तहसील रावतसर।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रावतसर दिनांक 02.03.1994 के नामान्तरण स0 480 व आदेश दिनांक 27.09.1994 नामान्तरण स0 489 रोही मौजा मोटेर

उपस्थितः– राजकीय अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय दिनांकः– 17.11.2021

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. यह कि तहसीलदार रावतसर द्वारा वाके रोही मौजा धान्धुसर की आराजी राज सिवाय चक भूमि खसरा 87 की 25 बीघा भूमि अराजी राज सिवाय चक भूमि को विधि विरूद्ध तहरी से पहले रेस्पो. के नाम से गैरखातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया और फिर दो माह बाद में खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया जो काबिल खारीज के है तथा तहसीलदार रावतसर को ऐसे आदेश देना का कोई भी किसी प्रकार से कानूनी अधिकार नही है।

2. यह कि तहसीलदार रावतसर को आराजी राज भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश में रेस्पों. के नाम से गैरखातेदारी दर्ज करने व ना ही खातेदारी दर्ज करने के अधिकार है। ऐसा कर तत्कालिन तहसीलदार रावतसर द्वारा अपने पद का दुरूप्योग कर राजकीय भूमि को रेस्पो. के नाम से दर्ज कर नुकसान पंहुचाया है जो काबिल खारीज के है।

3. यह कि उक्त तहसीलदार के आदेशों व इंतकाल का ज्ञान जिलाधीश हनुमानगढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 16/4400 दिनांक 21.09.2016 के प्राप्त होने पर हुआ इसके बाद नकलें आदि प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व शपथपत्र अपील के साथ सलग्न अपील है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन इंतकाल निरस्त कर भूमि आराजीराज दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया फिर भी उपस्थित नही बार बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई हाजिर नहीं अतः रेस्पो0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा धान्धुसर के खसरा नंबर 87 की 25 बीघा भूमि सिवाय चक आराजी राज दर्ज थी। जिसको बिना किसी आदेश के रेस्पो. के नाम से गैरखातेदारी दर्ज कर दी गई उसके दो माह पश्चात ही बिना आदेश के खातेदारी दर्ज कर दी जबकि ना तो भूमि रेस्पो. को सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन की गई ना ही कोई खातेदारी के आदेश दिए गए। समस्त कार्यवाही गलत रूप से विधि विरूद्ध करते हुए रेस्पो. को प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार दे दिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 480 व 489 रोही मौजा मोटेर खारिज कर पुनः भूमि आराजी राज दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने बहस सुनी पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत इंतकाल संख्या 480 व 489 की चित्रप्रति का अवलोकन किया। इंतकाल संख्या 480 रेस्पो. के नाम से उक्त प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज की गई है कैफियत में आदेश चस्पा का अंकन है लेकिन इंतकाल के साथ किसी प्रकार का आदेश चस्पा नही है ना ही कोई आवंटन आदेश है तथा रेस्पो. ने भी कोई आवंटन आदेश पेश नही किया। मात्र 2 माह पश्चात ही खातेदारी का इंतकाल सं0 489 दर्ज कर दिया गया जबकि खातेदारी का किसी प्रकार का आदेश ना तो इंतकाल के साथ है ना ही रेस्पो. ने कोई आदेश पेश किया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि रेस्पो. को कभी आवंटन ही नही हुई ना ही कभी कोई खातेदारी देने के आदेश जारी हुए। उक्त सारी कार्यवाही बिना किसी आदेश के की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 480 व 489 रोही मौजा धान्धुसर पटवार हल्का मोटेर खारिज किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष शर्मा RAS)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर(हनुमानगढ)